कार्यालय वनमंडलाधिकारी हरदा (सामान्य) वनमंडल

07577 - 222003 07577 - 224224 Email : dfotharda@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 3300 **हरदा, दिनांक** 15-05-26

प्रति,

परियोजना प्रशासक,
मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority (Online No. FP/MP/IRRIG/36231/2018) - regarding.

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, म.प्र. भोपाल पत्र क्रमांक/एफ-3/945326/0051/16 भोपाल दिनांक 17.12.2025 एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 24.11.2025

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्रों जिनकी प्रतिलिपी आपको भी पृष्ठांकित प्रेषित है का अवलोकन करें, सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्रों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही एवं अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने हेतु संलग्न भेजी जा रही है। विषयांतर्गत वन भूमि व्यपर्वतन के प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 24.11.2025 द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति अधिरोपित शर्तों के अंतर्गत जारी की गई है एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू-प्रबंध, म.प्र. भोपाल के उपरोक्त संदर्भ क्रमांक /एफ-3/945326/0051/16 भोपाल दिनांक 17.12.2025 द्वारा लेख किया गया है कि स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्था से वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि, नेट प्रेजेंट वेल्यू, जलगृहण क्षेत्र (केचमेंट प्लॉन) की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करें एवं शर्तो के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तथा साथ ही प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर जिला हरदा का प्रमाण पत्र भी भिजवायें ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

1. **शर्तें क्रमांक 2 (ii)** के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि उक्त प्रकरण अंतर्गत वनमंडल जबलपुर में 170 हेक्टेयर आवंटित वनभूमि में 11 वर्षीय योजना की राशि 9,47,86,260/-, आगर मालवा में 33.98 हेक्टेयर आवंटित वनभूमि में 11 वर्षीय योजना की राशि 1,60,86,488/- एवं सागर में 613.28 हेक्टेयर आवंटित वनभूमि में 11 वर्षीय योजना की राशि 62,72,81,731/- कुल 73,81,54,479/- (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करना सुनिश्चित करें।
2. **शर्तें क्रमांक vi** के अनुसार हरदा वनमंडल अंतर्गत प्रभावित वनक्षेत्र की NPV की राशि 99,40,39,883.00 (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करना सुनिश्चित करें।

S.No	Division Name	Range Name	Compartment No	Area	Density
1	Harda T	Makrai	107	0.129	0.3 - 0.5
2	Harda T	Makrai	146	0.084	0.5 - 0.7
3	Harda T	Makrai	155	0.59	0.3 - 0.5
4	Harda T	Makrai	162	0.21	0.5 - 0.6
5	Harda T	Makrai	164	2.297	0.3 - 0.6
6	Harda T	Rahatgaon	178	6.944	0.6 - 0.7
7	Harda T	Rahatgaon	181	2.438	0.6 - 0.7
8	Harda T	Rahatgaon	184	79.507	0.5 - 0.7
9	Harda T	Rahatgaon	193	0.108	0.5 - 0.6
10	Harda T	Rahatgaon	195	0.136	0.5
11	Harda T	Temagaon	236	62.287	0.6 - 0.7
12	Harda T	Temagaon	237	42.878	0.6 - 0.7
13	Harda T	Temagaon	239	72.655	0.5 - 0.7
14	Harda T	Temagaon	240	2.81	0.5 - 0.7
15	Harda T	Temagaon	244	0.49	0.5 - 0.7
16	Harda T	Temagaon	245	2.031	0.6 - 0.7
17	Harda T	Temagaon	246	0.015	0.5
18	Harda T	Temagaon	249	2.715	0.5 - 0.7

19	Harda T	Temagaon	250	1.034	0.6 - 0.7
20	Harda T	Temagaon	251	2.227	0.6 - 0.7
21	Harda T	Temagaon	252	7.604	0.6 - 0.7
22	Harda T	Temagaon	254	24.06	0.5 - 0.7
23	Harda T	Temagaon	255	1.135	0.6 - 0.7
24	Harda T	Temagaon	256	0.494	0.6 - 0.7
25	Harda T	Temagaon	257	0.545	0.5 - 0.7
26	Harda T	Temagaon	260	45.667	0.5 - 0.7
27	Harda T	Temagaon	262	84.357	0.5 - 0.7
28	Harda T	Temagaon	263	20.951	0.5 - 0.6
29	Harda T	Temagaon	264	29.092	0.5 - 0.7
30	Harda T	Temagaon	265	188.473	0.6
31	Harda T	Temagaon	266	99.728	0.6
32	Harda T	Temagaon	267	24.734	0.4 - 0.7
33	Harda T	Temagaon	277	0.008	0.6
34	Harda T	Handia	346	0.657	0
				809.09	

3. **शर्तें क्रमांक xxviii** के अनुसार केचमेंट प्लॉन की राशि 17,32,00,000/- जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वनबल प्रमुख म.प्र. (कक्ष भू-प्रबंध) के आदेश क्रमांक/एफ-3/16/945326/I/923377/2026 भोपाल दिनांक 02.04.2026 से प्राप्त हुई है (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करना सुनिश्चित करें।

राशियों का गोशवारा

क्र.	मद	रकबा (हे0)	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	राशि रू. में	रिमार्क
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	817.26	-	&	73,81,54,479/-	
2	नेट प्रजेण्ट वैल्यू (हरदा वनमंडल)	809.09	0.6	III	99,40,39,883/-	12,28,590 रूपये प्रति हे0
3	अन्य राशि (केचमेंट प्लॉन)	-	-	-	17,32,00,000/-	
योग					**1,90,53,94,362/-**	

(राशि रूपये में - एक अरब नब्बे करोड़ त्रेपन लाख चोरानवे हजार तीन सौ बासठ रूपये मात्र)

अतः संदर्भित पत्रानुसार अधिरोपित शर्तो के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एवं उपरोक्तानुसार राशि (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा की गई राशि के चालान की सत्यापित प्रतियां अनिवार्य रूप से पालन प्रतिवेदन के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सके एवं वनक्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की विदोहन राशि का मांगपत्र पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(ज्योति मुड़िया)
(भा.व.से.)
वन मंडल अधिकारी
हरदा (सामान्य) वनमंडल

पृ0क्र0/मा.चि./ 3301 **हरदा, दिनांक** 15-05-26

प्रतिलिपि :- 01. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन तुलसी नगर म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02. मुख्य वन संरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

03. वनमंडलाधिकारी जबलपुर, शाजापुर, सागर एवं खंडवा की ओर सूचनार्थ।

04. उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर/दक्षिण हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05. परिक्षेत्र अधिकारी टेमागांव, रहटगांव, मकड़ाई एवं हंडिया की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई हैं अतः आवेदक विभाग को औपचारिक स्वीकृति के पूर्व वन क्षेत्र में कार्य न करने दिया जावे।

वन मंडल अधिकारी
हरदा (सामान्य) वनमंडल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा (म.प्र.)

दूरभाष क (0733)-2223244 ई-मेल dfot.khd@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / ऑनलाईन / 2026 / 1666 खंडवा, दिनांक 08/04/26

प्रति,

परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
पी.आई.यू. सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, (म.प्र.)

विषय :- Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand - Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority. (Online No. FP/MP/IRRIG/36231/2018)-regarding.

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-3 / 945326 / 0061 / 16 / भोपाल दिनांक 25.11.2025

--000--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand - Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority. के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में सैध्दांतिक स्वीकृति जारी की गई है, पत्र की प्रति संलग्न है। संदर्भित पत्र में दर्शित शर्तो के अनुसार निम्नानुसार राशियाँ ऑनलाईन कैम्पा मद में परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा कराने की कार्यवाही की जावें:-

क्र.	मद	रकबा (हे.में)	घनत्व	ईको क्लास श्रैणी	राशि	रिमार्क
1.	नेट प्रजेण्ट वैल्यू (NPV)	2.19	Open forest	III	20,97,538/-	-

उपरोक्तानुसार राशि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से ही कैम्पा मद में जमा की जावे। ध्यान रहे उक्त राशियाँ ऑफलाईन जमा न की जावें।

वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र (FRA) के साथ संदर्भित पत्र में दर्शित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन, वचन पत्र के साथ टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(राकेश कुमार डामोर)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, खण्डवा

पृष्ठांकन क्रमांक / मा.चि. / ऑनलाईन / 2026 / 1667 खंडवा, दिनांक 08/04/26

प्रतिलिपि : -

1- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) तुलसी नगर वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- वनसंरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- उपवनमण्डलाधिकारी, पुनासा सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

4- वनपरिक्षेत्राधिकारी, सिंगाजी एवं आंवलिया सामान्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति में दर्शित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करावे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार (अनु. 3 व 4 हेतु)

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल खण्डवा

D:\MEMO 2026\MEMO 26.DOCX

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-2

<u>कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) — 482 001</u>

क्रमांक/व्यय0/ 67

<u>आदेश</u>

जबलपुर दिनांक 9/10/2023

जिला होशंगाबाद,बैतूल,हरदा एंव खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–3/16/2018/10–11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमंण्डल, जबलपुर के पत्र क्र0/मा0चि0/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एंव व0 म0 अ0 जबलपुर द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0/1194/191/ 2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग–2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :–

योजना का नाम	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	रकवा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रूपये में)
मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवां	RF 340	40.00	2025–2026 से 2035–36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवां	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारतोरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बघराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
			योग	170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं :–

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं । यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM
09-10-23

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 6713 जबलपुर, दिनांक 9 /10/2023

प्रतिलिपि :— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र0 /मा0चि0 /1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त जबलपुर
9/10/23

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/13

उज्जैन, दिनांक 08-02-2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29-01-2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण मे न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरढ़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधोपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरढा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड माधोपुर	85.060	215	4.000	2.000	2000	4135808
4				190, 192, 193, 199, 213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151, 158, 160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34, 35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोंगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
	महायोग		212.420		212.420	97.380	152000	93441047

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018/10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गवर्मेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।

F:\...\Documents\...\SHAJAPUR\CA\CA ORDER.doc

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13—11—2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई—ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring Syntam एवं MIS Portal मे समय—समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्युनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावें।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707/A उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29—01—2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/46 सागर दिनांक : 28/06/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./1037 दिनांक 27/06/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्ट वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा हस्तांतरित परिक्षेत्र गौरझामर के निम्नाकित खसरों की रकवा 150.00 हेक्ट गैरवनभूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 170739068/- की 11 वर्षीय कुल 02 प्राक्कलन (वर्ष 2026-27 से 2036-37 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र कमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	ग्राम	खसरा न.	रकवा है.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	7	8	9
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/2018)	गौरझामर	जैतपुर कछया	571/1	15	21721930
2				जैतपुर कछया	571/1	35	38469759
3				डोंगरसलैया	181	70	74141611
4				डोंगरसलैया	181	30	36405768
					Total	150	170739068

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ करायें जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र कं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यो का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नही पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगें।
11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोंटो ग्राफ्स् वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में केचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू-जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अद्योसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अंक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण-पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू-जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्डर चेकडेम/ब्रशबुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टेंक, भू-जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ कमांक-SS...7... के अनुकमांक 1.2 पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/1091 सागर दिनांक :28/6/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./1037 दिनांक 27/06/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/23 सागर दिनांक :05/03/2024

वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक/मा.चि./342 दिनांक 01/03/2024 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/20118) के निर्माण में प्रभावित 2250.05 हेक्ट वन भूमि बदले में कलेक्टर सागर द्वारा परिक्षेत्र केसली के निम्नांकित खसरों की रकवा 463.238 हेक्ट वैकल्पिक वृक्षारोपण प्राक्कलन हेतु कुल राशि रूपये 456542663/- की 11 वर्षीय कुल 12 प्राक्कलन (वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक) तकनीकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र कमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र	वनमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	परिक्षेत्र	खसरा न.	रकवा है.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	6	7	8
1	दक्षिण सागर	मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना (FP/MP/IRRIG/36231/20118)	केसली	20, 21, 232, 246	108.050	100044585
2				3	21.600	24791362
3				109	11.300	16034260
4				21, 22, 24	32.930	34603705
5				72	18.100	20543355
6				24, 84/1	42.000	42494377
7				402/1	30.100	29175042
8				444, 447	26.600	27899617
9				336	14.540	17551957
10				673	41.560	39579099
11				103	100.00	84499829
12				234/1	16.500	19325475
				Total	463.28	456542663

1. मुख्यालय द्वारा CA मद के अंतर्गत कुल रकवा एवं राशि से प्रति हे.व्यय अधिक न हो यह सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा।
2. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
3. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
4. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र कं/कैम्पा/318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
6. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
7. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यो का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
8. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नही पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर/वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावें, भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होगें।

D/Moaz/Campa/TS 2024

11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावेसंपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

12. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

13. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

15. वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

16. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

17. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र कमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी(कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र कमांक/कैम्पा/3445 दिनांक 14/08/2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार CAMPA मद के अंतर्गत संपादित समस्त कार्यो (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, एन.पी.व्ही. अंतर्गत वृक्षारोपण, भवन निर्माण, लेंटाना/खरपतवार उन्मूलन, पुल /पुलिया निर्माण, भू–जल संरक्षण कार्य, नर्सरी अधोसंरचना कार्यो) को E-green watch portal पर (के.एम.एल/अक्षाश देशांतर सहित) प्रमाण–पत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

19. वृक्षारोपण योजना प्राक्कलनों में प्रस्तावित भू–जल संरक्षण कार्यो हेतु प्रस्तावित राशि से भू–जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्डर चेकडेम/ब्रशवुड चेकडेम छोटे–छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टेंक, भू–जल संरक्षण संरचानाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावें।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ कमांक–SS–1..... के अनुक्रमांक 5....पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2024/ 461 सागर दिनांक 06.../03/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल दक्षिण सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./342 दिनांक 01/03/2024 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

D/Moaz/Campa/TS 2024

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश (कक्ष भू-प्रबंध)

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं:-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

:: तकनीकी स्वीकृति आदेश ::

आदेश क्रं./एफ-3/16/945326/I/923377/2026 भोपाल, दिनांक:02-04-2026

कार्यालयीन आदेश क्रं/एफ-3/16/2018/10-11/53, दिनांक 03.10.2023 "मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना" के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति से संबंधित है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 24.11.2025 से केवल गंजाल बांध निर्माण की सैद्वांतिक स्वीकृति जारी की गई है, सैद्वांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या (xiv) अनुसार गंजाल बांध के जलग्रहण क्षेत्र को पृथक कर उपचार योजना की अनुमोदित प्रति चाही गयी है। जिसके पालन में आवेदक संस्थान द्वारा पत्र दिनांक 01.04.2026 से गंजाल बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के उपचार योजना की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, उक्त योजना पर वनमण्डलाधिकारी, हरदा द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.01.2026 से अनुशंसा की गयी है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधि., 1980 के तहत भारत सरकार के परिपत्र दिनाक 08.03.2019 से जारी गाईड लाईन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक/एफ-3/2019/10-11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति के अनुक्रम में प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन पर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

जिला का नाम	योजना का नाम	जल ग्रहण क्षेत्र का रकबा	राशि रूपये मे
हरदा एवं बैतूल	गंजाल सिंचाई परियोजना	41350 हेक्टेयर	17,32,00,000/-

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

1. उक्त योजना अंतर्गत तैयार प्राक्कलन के प्रस्ताव पर दी जाती है। यदि प्रस्ताव में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरान्त कराऐं।

2. समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो, निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावें। यदि किसी कार्य की जॉब दर/श्रमिक दर में कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अनुमोदन उपरांत कराए, कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।

3. इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावे। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।

4. इस कार्य की उपयोगिता प्राप्त प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

5. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जायें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।

7. प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कार्य स्वीकृत जॉब दरों के अनुरूप ही किये जायेंगे भिन्नता पाये जाने पर कार्य कराने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

8. कार्य स्थल के फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से लिए जाएं तथा अभिलेखों में समाहित किया जाए। प्राक्कलन में दर्शित कार्य से संबधित अभिलेखों (यथा माप पुस्तिका आदि) का नियमानुसार संधारण किया जाए।

9. प्राक्कल मे प्रस्तावित कार्य स्थल पर एक साइन बोर्ड लगाया जावें जिस पर प्रस्तावित समस्त कार्यो की संख्या, कार्यवार राशि एवं समयवर्ष का उल्लेख करते हुए कार्य कराने वाले अधिकारी का नाम/पद लिखा जावें।

10. कोई भी सामग्री क्रय करते समय म०प्र० भण्डार क्रय नियमों का पालन किया जावें।

11. कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

12. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जाये।

13. प्रोजेक्ट अंतर्गत अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र मे कार्य कराया जावें, भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके लिए कार्य कराने वाले अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

14. CAT योजना में प्रस्तावित किये गये सभी कार्यो और संरचनाओं की निगरानी के उद्देश्य से जियोटैग किया जाएगा। CAT योजना के तहत उपचारित क्षेत्र की KML file ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 02-04-2026
16:23:13

ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS

प्रतिलिपि.-

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना) मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, वृत्त नर्मदापुरम/ वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल हरदा/ खण्डवा, मध्यप्रदेश।
5. परियोजना प्रशासक, मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PCCF(O/o APCCF-LAND MANAGEMENT)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं:-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/945326/0051/16

दिनांकः ई-साइन अनुसार

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल हरदा/नर्मदापुरम/खण्डवा,
मध्यप्रदेश।

विषय:- **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand - Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority (Online No. FP/MP/IRRIG/36231/2018) – regarding.**

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 24.11.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र से मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में 2250.05 हेक्ट. में से 811.29 हे. वनभूमि गंजाल बांध के निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की है।

भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव में वनमंडल हरदा की 809.09 हे. वनभूमि एवं वनमंडल खण्डवा की 2.19 हे. कुल 811.29 हे. वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय की गई है। वनमण्डल नर्मदापुरम की प्रस्तावित 1215.42 हे. वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति अभी प्रदाय होना शेष है।

अतः लेख है कि गंजाल बांध हेतु प्रस्तावित 811.29 हे. वनभूमि की KML file एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण की KML file ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। उक्त KML file के स्थलवार NPV एवं विदोहन व्यय की राशि आवेदक विभाग से प्राप्त करने हेतु मांगपत्र जारी किया जावें।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 17-12-2025
16:59:27

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रतिलिपि-

1. मुख्य वन संरक्षक, **(**क्षेत्रीय**)** वृत्त ग्वालियर**/**वृत्त खण्डवा**,** मध्यप्रदेश।

2. परियोजना प्रशासक, मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, (कक्ष भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/945326/0061/16

दिनांक : ई-साइन अनुसार

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
(सा.) वनमण्डल नर्मदापुरम/उत्तर बैतूल/पश्चिम बैतूल/
हरदा/खण्डवा/जबलपुर/शाजापुर, मध्यप्रदेश।

विषय:- **Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand - Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority (Online No. FP/MP/IRRIG/36231/2018) - regarding.**

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 24/11/2025.

--00--

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है।

प्रकरण में लेख है, कि भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार कैम्पा मद में जमा होने वाली राशियों का भुगतान परिवेश ई-पोर्टल के माध्यम से आवेदक विभाग से जमा करवाई जावें। साथ ही प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी गैर वनभूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने संबंधी अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की जावे।

अतः प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन आवेदक विभाग से प्राप्त करते हुए अपने पालन प्रतिवेदन सहित पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 25-11-2025
16:20:10

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Divisional Forest Officer
Harda Di... (General)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम/ वृत्त खण्डवा/ वृत्त बैतूल/ वृत्त उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यू. सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

12185
28/11/25

F. No. 8-16/2023-FC (E-209627)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
*****

Indira Paryavaran Bhawan
Aliganj, Jor bagh Road
New Delhi– 110003
Dated: 24-11-2025

To

The Principal Secretary (Forests)
Government of Madhya Pradesh
Bhopal.

Subject: Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand - Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority (Online No. FP/MP/IRRIG/36231/2018) – regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer toGovernment of Madhya Pradesh, vide their letter No. F-3/16/2018/10-11/1667 dated 26.04.2023 and additional information provided vide letter dated 16.08.2023, 10.10.2023, 26.10.2023, 06.02.2024, 06.08.2024, 09.10.2024, 13.11.2024, 07.01.2025, 12.08.2025, 28.08.2025 and 25.09.2025 on the proposal mentioned in above subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The said proposal has been examined by the Advisory Committee (AC) constituted by the Central Government under Section- 3 of the aforesaid Adhiniyam on 27.10.2025.

2. After careful consideration of the proposal of the Government oMadhya Pradesh and on the basis of the recommendations of the Advisory Committee and approval of the same by the competent authority of MoEFCC, New Delhi, the Central Government hereby accords "***In-principle/Stage-I***" approval under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 811.29 Ha of forest land for construction of Ganjal Dam out of 2250.05 ha (instead of 2272.05 ha) forest land earlier proposed for construction of Morand - Ganjal Irrigation Project located in Hoshangabad, Betul, Harda and Khandwa Districts of Madhya Pradesh State in favour of M/s Narmada Valley Development Authority in the State of Madhya Pradesh subject to the following conditions:-

i. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

ii. The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the Compensatory Afforestation as per the approved CA Scheme at the current wage rate in consultation with State Forest Department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.

iii. Compensatory Afforestation over equivalent Non Forest land shall be raised at the project cost and afforestation work shall start within two years from the date of final approval and maintained thereafter in accordance with the approved CA scheme by the State Forest Department.

iv. The non-forest land identified for raising CA shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before issue of final approval.

v. The non-forest land transferred and mutated in favour of the State Forest Department shall be notified by the State Government as Protected forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section(s) of the local Forest Act, before handling over the forest land to the user agency.

vi. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 06.01.2022 read with 22.03.2022 through online portal of CAMPA account of the State Concerned.

vii. At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

viii. The Compensatory levies to be realized from the User Agency under the project shall be transferred/ deposited, through e-challan, in to the account of National Authority, CAMPA pertaining to the State concerned through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

ix. **Regional Office Bhopal shall ascertain the suitability of the non-forest land identified for the compensatory afforestation and the State shall take requisite necessary action in consultation with the Regional Office to ensure that the area proposed for Compensatory afforestation is suitable and free from all encumbrances. The complete details of the CA land including the Maps/KML files,site suitability certificates and the CA scheme shall be submitted by the State Government prior to the Stage-II approval.**

x. **The in-principle** approval is for the **construction of Ganjal dam Irrigation project only. The decision on construction of the Morand dam shall be taken only after the impacts of the first dam are studi**ed **in detail. This staggered approach** will enable **data driven, evidence**-based **decision-making, ensuring** ecological concerns **are not compromised in pursuit of developmental** objectives.

xi. **The Wildlife Institute of India shall be given a short-term study by the State Government in terms of functionality of the corridor in addition to the** other broad mandate of the study **already assign**ed to them. **The** short study report shall be **submitted before the** final **approval is considered.**

xii. **A study will be taken up by the State government at the cost of the user agency and in collaboration with NTCA and WII to map presence and movement of tigers between tiger reserves in the** Central **Indian landscape to** delineate true corridors, **validated with fie**ld data. **This may be done on bi-**annual basis for a per**iod of at least six** years.

xiii. **Recommendation** of SCNBWL will **be obtained before** the **Stage-II/ Final Approval of the proposal.**

xiv. **The state shall revise/prepare the CAT plan specifically for the catchment area of the Ganjal Dam.**

xv. The complete compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/);

xvi. The State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted as per the sub-rule (7) of Rule 11 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023;

xvii. The User Agency shall implement the R&R Plan, if applicable, as per R&R policy of State Government in consonance with National R &R policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R plan shall be monitored by the State Govt./Regional Office of MoEF&CC.

xviii. The KML files of proposed area for diversion and the CA area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details.

xix. The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled, if any, and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department.

xx. The cost of felling of trees, if any, shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

xxi. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

xxii. No labour camp shall be established on the forest land;

xxiii. The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels, if required to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

xxiv. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;

xxv. The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates.

xxvi. The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

xxvii. The user agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir and canals bank and maintain plantations with the State Forest Department (as applicable).

xxviii. A Catchment Area Treatment Plan shall be prepared, and implemented by/or under the supervision of State Forest Department at the project cost, if applicable.

xxix. The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

xxx. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.

xxxi. The State Government and the user agency shall ensure that the trees available between full reservoir level (FRL) and FRL - 4 meters are not felled.

xxxii. The user agency shall provide free water for the forestry related projects.

xxxiii. The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the Stage-I compliance report.

xxxiv. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval

of the Central Government.

xxxv. No damage to the flora, fauna or the environment of the adjoining area shall be caused; Adequate measures to ensure no damage to the adjoining areas should be taken by the User Agency at the project cost.

xxxvi. The concerned Divisional Forest Officer, will monitor and take necessary measures to ensure that there is no adverse impact on the forests in the surrounding area.

xxxvii. The User Agency shall submit the annual self -compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly.

xxxviii. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried with by the State Government and user agency.

xxxix. The user agency shall comply all the provisions of all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project,. if any, for the time being in force, as applicable to the project.

xl. Violation of any of these conditions will amount to violation ofVan (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of Chapter 1 of the consolidated guidelines and clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 29.12.2023.

After receipt of compliance report on fulfilment of the conditions mentioned above, the proposal shall be considered for final approval under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.

Yours faithfully,

Digitally signed by
SUNEET BHARDWAJ
Date: 24-11-2025
11:42:15

Sd/-
(Suneet Bhardwaj)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. PCCF (HoFF), Department of Forest, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

2. DDGF (Central), MoEF&CC's Regional Office, at Bhopal.
3. APCCF–cum-Nodal Officer, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi for uploading.